WWW.APMA.BIZ

ऑटोमोटिव पार्ट्स मर्चेन्ट्स एसोसिएशन (रजि.)

AUTOMOTIVE PARTS MERCHANTS ASSOCIATION(Regd.)

(Regd No. S/2999 of 1966-67)

FLAT NO. 10, IST FLOOR, VARDAN HOUSE, CHABI GANJ, KASHMERE GATE, DELHI-110006

Phone : 23967505, 23948000 E-mail : apma1965@yahoo.in Website : www.apma.biz

R.K. GUPTA	**VISHNU BHARGAVA**	**VINAY NARANG**
PRESIDENT	**Hony. General Secretary**	**Hony. Treasurer**
Mobile : 9891008503	**Mobile : 9811139614**	**Mobile : 9810193816**

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/181 — दिनांक : 1–9–2017

Extension of date of filing of Audit Report and Income Tax Return

F.No. 225/270/2017/ITA.II Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes

North-Block, ITA.II Division,
New Delhi dated the 31st of August, 2017

Order under Section 119 of the Income-tax Act, 1961 (‘Act’)

The Goods and Services Tax (‘GST’) has come into effect on 01.07.2017. In recent days, dates for filing various returns and forms under GST have been extended by the Government. In this backdrop, representations have been filed by various stakeholders requesting for extending the ‘due date’ for filing various reports of audit as well as tax-returns under the Income-tax Act from 30th September, 2017 so as to allow sufficient time to the assessees’ and tax professionals, and thus, facilitate their ease of compliance with statutory responsibilities under various fiscal laws.

On consideration of the matter, the Central Board of Direct Taxes, in exercise of powers conferred under section 119 of the Act, in respect of all assesses, covered under clause (a) of Explanation 2 to sub-section (1) of section 139 of the Act, hereby extends the ‘due-date’ prescribed therein for filing the return of income as well as various reports of audit prescribed under the Income-tax Act which are required to be filed by the said ‘due date’ from 30th September, 2017 to 31st October, 2017.

-Sd
(Rohit Garg)
Director-ITA.II

सरकूलर नं0 अपमा/2016–2018/182

Extension of date of Aadhar-PAN Linkage

F.No. 225/270/2017/ITA.II Government of India, Ministry of Finance, Department of Revenue, Central Board of Direct Taxes

North-Block, ITA.II Division,
New Delhi dated the 31st of August, 2017

Order under Section 119 of the Income-tax Act, 1961 (‘Act’)

Under the provisions of recently introduced section 139AA of the Income-tax Act, with effect from 01.07.2017, all taxpayers having Aadhar Number or Enrolment Number are required to link it with PAN Number for filing the tax return. The said provision was relaxed by the Central Board of Direct Taxes (‘CBDT’) vide its order dated 31.07.2017, in file of even number, wherein further time till 31.08.2017 was allowed to the taxpayers to link Aadhar with PAN.

On consideration of the matter, CBDT, in exercise of powers conferred under section 119 of the Act, modifies para 3 of its earlier order dated 31.07.2017 and further extends the time for linking Aadhar with PAN till 31.12.2017.

-Sd
(Rohit Garg)
Director-ITA.II

Contd……P/2

सरकूलर नं0 अपमा / 2016—2018 / 183

पत्र स0स0द0जी0एस0टी—माल परिवहन—2017—18 / 1231 / 1718028 / वाणिज्य कर, कार्यालय कमिश्नर, वाणिज्य कर, उत्तर प्रदेश (सचलदल अनुभाग), लखनऊ : दिनांक : अगस्त, 22, 2017

समस्त एडीशनल / कमिश्नर / एडीशनल कमिश्नर ग्रेड—2(वि0अनु0शा0)
ज्वाइन्ट कमिश्नर (वि0अनु0शा0) / (कार्यपालक) / (कार्पोरेट)
डिप्टी कमिश्नर / असिस्टेन्ट कमिश्नर उत्तर प्रदेश

उत्तर प्रदेश शासन की विज्ञप्ति संख्या—क0नि0—2—1014 / ग्यारह—9(52) / 17—उ0प्र0 अधि0—1—2017 आदेश 1311—2017 दिनांक 21—7—2017 द्वारा प्रदेश में ई—वे बिल व्यवस्था लागू की गई थी जिसे मुख्यालय के परिपत्र संख्या 1028 दिनांक 27—7—2017 द्वारा प्रभावी दिनांक 16—8—2017 से लागू किया गया था। प्रश्नगत ई—वे बिल व्यवस्था में प्रान्त बाहर से 5000 / — रूपये या उससे अधिक के करयोग्य माल लाये जाने पर ई—वे बिल 01 प्रान्त से प्रान्त के अन्दर एवं प्रान्त के अन्दर से प्रान्त बाहर 01 लाख रूपये या उससे मूल्य के मेंथा आयल व मेथाल एवं डी0एम0ओ0 / सपाडो / लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन हेतु ई—वे बिल 02, ई कामर्स आपरेटर तथा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकों / कुरियर अभिकर्ताओं द्वारा माल के परिवहन की स्थिति में ई—वे बिल 03 तथा उत्तर प्रदेश के बाहर से किसी स्थान से राज्य के बाहर 5000 / — रूपये या उसस अधिक मूल्य के माल हेतु टी0डी0एफ0—01 का प्राविधान किया गया था। पुनः शासन द्वारा विज्ञप्ति संख्या क0नि0—2—1158 / ग्यारह—9(52) / 17—उ0प्र0 अधि0—1—2017—आदेश(38)—2017 दिनांक 18—8—2017 से उक्त विज्ञप्ति को संशोधित करते हुए निम्न व्यवस्था की गई है।

प्रान्त बाहर से माल लाये जाने की स्थिति में 5000 / — रूपये या उससे अधिक के करयोग्य माल के स्थान पर 50000 / — रूपये या उससे अधिक के माल लाये जाने पर ई—वे बिल 01 का प्रविधान किया गया है। उत्तर प्रदेश के भीतर अथवा राज्य के भीतर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान तक 1 लाख रूपये या उससे अधिक के स्थान पर 50000 / — रूपये या उससे अधिक मेंथा आयल व मेंथाल एवं डी0एम0ओ0 / सुपाड़ी / लोहा तथा इस्पात तथा सभी प्रकार के खाद्य तेल व वनस्पति घी के परिवहन पर ई—वे बिल 02 का प्राविधान किया गया है। ई—कामर्स आपरेटर अथवा उनके द्वारा अधिकृत परिवाहकां / कुरियर अभिकर्ताओं या परिदान अभिकर्ताओं के द्वारा प्रदेश के बाहर के किसी स्थान से 50000 / — रूपये या उससे अधिक मूल्य के कराधेय माल का किसी एक व्यक्ति को परिदान हेतु परिवहन किये जाने की स्थिति में ई—वे बिल 03 का प्राविधान किया गया है। उत्तर प्रदश के बाहर किसी स्थान से राज्य के बाहर किसी स्थान को ले जाने की स्थिति में 50000 / — रूपये या उससे अधिक करयोग्य माल के परिवहन के लिये टी0डी0एफ0—01 का प्राविधान किया गया है।

उक्त दोनों विज्ञप्तियों की प्रतियां इस पत्र के साथ संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित की जा रही ह कि संशोधित प्राविधानों का विस्तृत प्रचार—प्रसार कराते हुये व्यापारिक संघो, औद्योगिक संगठनों, अधिवक्ता एवं अन्य संगठनों को प्रतियां उपलब्ध कराते हुये पर्याप्त जानकारी दी जाये तथा इन प्राविधानों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाये।

Sd-
(मुकेश कुमार मेश्राम)
कमिश्नर, वाणिज्य कर / राज्य कर
उत्तर प्रदेश, लखनऊ

(राकेश कुमार)
जनसम्पर्क अधिकारी